समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 26 August 2026

अयोध्या मस्जिद योजना विकास प्राधिकरण द्वारा लंबित एनओसी के कारण खारिज, विवाद तेज

Sanket Morankar

Published on 23 Sep 2025

अयोध्या विकास प्राधिकरण ने हाल ही में मस्जिद निर्माण की योजना **लंबित सरकारी एनओसी (No Objection Certificates) के कारण खारिज कर दी है।**

- RTI के जवाब में यह स्पष्ट किया गया कि योजना **सभी आवश्यक मंजूरी और कानूनी अनुमतियों के बिना आगे नहीं बढ़ सकती।**
- यह निर्णय **स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नियमों के पालन** का हिस्सा है।
- अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कहा कि किसी भी निर्माण कार्य की **मंजूरी तभी दी जा सकती है जब सभी सरकारी विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त हों।**
- अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद निर्माण योजना के लिए **पर्यावरण, सुरक्षा, भू-अधिग्रहण और अन्य विभागों की मंजूरी** जरूरी थी, जो अभी लंबित है।
- प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय **कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के अनुसार** लिया गया है।
- सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी में कहा गया कि मस्जिद योजना **लंबित एनओसी के कारण रोकी गई थी।**
- RTI के जवाब में यह भी बताया गया कि **निर्माण की मंजूरी केवल नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन पर निर्भर है।**
- विशेषज्ञ मानते हैं कि RTI के जरिए यह खुलासा **स्थानीय प्रशासन की पारदर्शिता और जिम्मेदारी** को दिखाता है।

- अयोध्या में मस्जिद निर्माण की योजना **कई वर्षों से विवादों और कानूनी प्रक्रियाओं** में रही है।
- भूमि, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े अनुमतियों की वजह से परियोजना कई बार अटक चुकी है।
- स्थानीय प्रशासन और धार्मिक संगठनों के बीच **संवाद और समन्वय की कमी** ने योजना को और जटिल बना दिया।
- स्थानीय नागरिकों और धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय को **विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा**।
- कुछ ने इसे **कानूनी प्रक्रिया के पालन और नियमों का सम्मान** माना।
- वहीं, कुछ समूह इसे **धार्मिक और सामाजिक विवाद का हिस्सा** समझ रहे हैं।
- राजनीतिक दलों ने भी इस मामले पर टिप्पणी की, जिसमें **स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी और नियमों का पालन** प्रमुख बिंदु रहा।
- मस्जिद निर्माण के लिए आवश्यक हैं:
    - भू-अधिग्रहण की मंजूरी
    - पर्यावरणीय अनुमतियाँ
    - सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन की स्वीकृति
    - अन्य सरकारी विभागों से एनओसी
- विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि **लंबित एनओसी निर्माण को आगे बढ़ाने मे बांधक है।**
- विशेषज्ञों का कहना है कि **किसी भी निर्माण को कानूनी और प्रशासनिक नियमों के अनुपालन के बिना मंजूरी नहीं दी जा सकती।**
- मस्जिद निर्माण की योजना अब तब तक रुकी रहेगी जब तक **सभी लंबित एनओसी और आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती।**
- प्रशासन ने संकेत दिया है कि **सभी मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर पुनः विचार किया जा सकता है।**
- यह मामला अब **स्थानीय प्रशासन, धार्मिक संगठनों और नागरिक समूहों के बीच समन्वय** का केंद्र बन गया है।

अयोध्या मस्जिद निर्माण योजना का खारिज होना यह दिखाता है कि **प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कानूनी मानकों का पालन** हर परियोजना में अनिवार्य है।

- RTI के जवाब से स्पष्ट हुआ कि **विकास प्राधिकरण ने पारदर्शिता के साथ निर्णय लिया है।**
- भविष्य में मस्जिद निर्माण की योजना तभी आगे बढ़ेगी जब **सभी लंबित एनओसी और अन्य आवश्यक अनुमतियाँ** प्राप्त हो जाएँ।

यह घटना अयोध्या में **धार्मिक निर्माण परियोजनाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कानूनी पालन** के महत्व को उजागर करती है।

- यह संदेश देता है कि **धार्मिक और सामाजिक परियोजनाओं मे नियमों और अनुमतियों का पालन आवश्यक है।**

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.